

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय / 2015

जयपुर, दिनांक

:: संशोधित आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर विधि सेवा के सेवानिवृत् अधिकारियों के संबंध में जारी इस विभाग की समसंब्यक्त आज्ञा दिनांक 06.01.2023 में उप विधि परामर्शी की तालिका में क्रम संख्या—4 पर अंकित नाम कृपावती हर्ष के स्थान पर कृपावती व्यास पढ़ा जावे।

आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक/रा.अ./संस्था/2024–25 दिनांक 03.05.2024 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती कृपावती व्यास का पेंशन प्रकरण शीघ्र निस्तारित करवाने का श्रम करावें।
3. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7539860